कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र).

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन कीअंतराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में 10 वषों से फरार स्थाई गिरफ्तार वारंटी आरोपी मिजोरम से गिरफ्तार

प्रेस विज्ञप्ती (**82/25,** दिनांक **15.12.2025)**

माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव के संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे है। इस दिशा में कार्यवाही करतेहुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश एवं मिजोरम वन विभाग ने 10 साल से वांछित, अंतर्राष्ट्रीय पेंगोलिन तस्कर लाल्लेंन कुंगा निवासी कोलासिब (मिजोरम) को, अंततः दिनांक 13.12.2025 को कोलासिब (मिजोरम) से गिरफ्तार किया ।

आरोपी लालटलनकुंगा देश के वन्यजीव तस्करों के गिरोह में एक मुख्य सरगना है। जिसके विरूद्ध देश के कई राज्यों जिसमे मध्यप्रदेश में 03 प्रकरण, ओडिशा में 01 एवं मिजोरम में 01 प्रकरण दर्ज है।

मध्यप्रदेश में दर्ज प्रकरणों में इन तस्करों द्वारा पेंगोलिन के स्केल्स मुख्यतः उडीसा, छत्तीसगढ़ आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश से खरीदे जाते थें तथा उसे असम, मिजोरम, मणिपुर के व्यापारी को बेचा जाता है जहॉ व्यापारियों के द्वारा उसे म्यानमांर (बर्मा) होते हुये चीन भेजा जाता है।

एसटीएसएफ के द्वारा दुर्लभ प्रजाति वन्यप्राणी पेंगोलिन के अवयवों की तस्करी का अतंर्राज्जीय एवं अतंर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह संभवतः देश की सबसे बडी वन्यप्राणी अपराध संबंधी विवेचना है। जिसमे एसटीएसएफ द्वारा विगत 09 वर्षो में 197 आरोपियों को देश के 15 राज्यों से गिरफ्तार किया जा चुका है।

इंटरपोल द्वारा पेगोंलिन को विश्व में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी कहा है। वन्यजीव पेंगोलिन के अवयवों की तस्करी एशिया व अफ्रीका के कई देश से की जाती हैं। इसकी मांग मुख्यतः चीन, म्यानमार, थाईलैण्ड, मलेशिया, हॉगकॉग, वियतनाम आदि देशों में है।

लाल्लेंन कुंगा मूल रूप से बर्मा का निवासी है, लाल्लेंन कुंगा को सर्वप्रथम माह अगस्त 2015 में भी गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश लाया गया था, माननीय जिला न्यायालय बालाघाट से जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया, उसके विरुद्ध तीन अलग-अलग माननीय मजिस्ट्रेट न्यायालय से गिरफ़्तारी वारंट जारी है।

आरोपी को गिरफ्तारी उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वर्ग-II कोलासिब, (मिजोरम) के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड लेकर मुख्यालय जबलपुर लाया गया। दिनांक 15.12.2025 को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष पेश कर पुलिस/फॉरेस्ट अभिरक्षा में दिनांक 15.12.2025 से 18.12.2025 तक लेने हेतु निवेदन किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल